न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 52/2014

राजस्थान सरकार जरिये अमित कुमार शर्मा, प्रर्वतन निरीक्षक, नसीराबाद।

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमती किरण जैन, डीलर उचित मूल्य दुकान ग्राम भवानीखेडा–II, तहसील– नसीराबाद।

. .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1.श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2.श्री उत्तम गुरूबक्षानी — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 09.11..2016

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.7.2014 को उचित मूल्य दुकानदार भवानीखेडा–II का आकस्मिक निरीक्षण दुकानदार श्रीमती किरण जैन की उपस्थिति में किया गया। मौके पर माह जुलाई 2014 के NFSA गैहूँ व केरोसीन के वितरण रजिस्टर दुकान पर नहीं पाये गये। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 31.7.2014 को केरोसीन व गैहूँ का वितरण नहीं होना बताया। उचित मूल्य दुकान के स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनांक 31.7.2014 को NFSA गैहूँ 2635 कि.ग्रा. व केरोसीन 1528 लीटर प्रारम्भिक स्टॉक था। भौतिक सत्यापन में NFSA गैहूँ के 52 कट्टे व एक लूज कट्टे को मिलाकर लगभग 2635 कि.ग्राम गैहूँ पाया गया। 7 ड्रमो में केरोसीन कुल 1334 लीटर पाया गया। चूंकि मौके पर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 31.7.2014 को केरोसीन वितरण शून्य बताया। प्रारम्भिक स्टॉक रजिस्टर अनुसार 1258 लीटर केरोसीन था, जबकि भौतिक सत्यापन पर 1334 लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार कुल 76 लीटर केरोसीन स्टॉक से अधिक पाया जाने पर अधिशेष केरोसीन 76 लीटर केरोसीन को कब्जेराज लेकर श्री किशन गुर्जर डीलर उचित मूल्य दुकान ग्राम भवानीखेडा I (अटैच धौलादाता) को सुपुर्दगी पर दिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 76 लीटर अधिक केरोसीन जमा कर एवं केरोसीन वितरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन को अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

09/11/16

जिला कलक्टर
अजमेर

1. फर्द मौका एवं जब्ती
2. सुपुर्दगीनामा

(अमित कुमार शर्मा)
प्रवर्तन निरीक्षक,

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि उचित मूल्य दुकानदार भवानीखेडा–II द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले नीले केरोसीन को कालाबाजारी के उद्धेश्य से स्टॉक से 76 लीटर केरोसीन जमा कर एवं केरोसीन रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 76 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावे।

जवाब में अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब नोटिस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि दिनांक 30.7.2014 को अप्रार्थी की दुकान पर 1300 लीटर केरोसीन थोक विक्रेता मै0 खान ऑयल कम्पनी के बिल नं0 8041 से प्राप्त हुआ। जिसका इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में किया गया। स्टॉक रजिस्टर में पूर्व का स्टॉक शून्य था। दिनांक 30.7.2014 को ही 42 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरण किया जाने से अन्तिम स्टॉक 1258 लीटर रहा। वक्त निरीक्षण दिनांक 31.7.2014 को प्रारम्भिक स्टॉक 1258 लीटर रहा। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अलग–अलग ड्रमो में रखें केरोसीन को किसी मापयंत्र से मापे बिना मौके पर 1334 लीटर केरोसीन बताकर 76 लीटर केरोसीन जब्त करना बताया यह स्पष्ट नहीं है। फर्द मौका व जब्ती को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक भी नहीं किया गया है। अप्रार्थी के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर उचित मूल्य दुकान को श्री किशनलाल गुर्जर की दुकान के साथ अटैच किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव एवं सरंपच ग्राम पंचायत भवानीखेडा के सम्मुख प्रार्थी के पास बचे हुए केरोसीन का माप किये जाने पर 1185 लीटर हुआ। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पूर्व में श्री किशनलाल गुर्जर को जरिये सुपुर्दगीनामें दिये गये 76 लीटर केरोसीन का योग करने पर कुल 1261 लीटर केरोसीन होता है जो स्टॉक रजिस्टर में दर्शाये गये कुल वजन 1258 लीटर से मात्र 03 लीटर अधिक होता है यह मात्रा नगण्य है, जो मानवीय भूल वश हो सकता है। इसमें अप्रार्थी की कोई बदनीयति नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध आज तक किसी उपभोक्ता द्वारा कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा नियमित व सही मात्रा में रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। अतः अप्रार्थी को दिया गया नोटिस निरस्त फरमाते हुए अधिक मात्रा में जब्त दिखाये गये केरोसीन को राज्य सरकार का मानते हुए अटैच किये गये दुकान को सम्भलाया माना जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। फर्द मौका एवं जप्ती रिपोर्ट से उचित मूल्य दुकानदार द्वारा रेकार्ड में फर्जी इन्द्राजात करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत मात्र राशन कार्ड पर वितरित होने वाले केरोसीन को स्वंय के लाभ हेतु बचाकर इसे उँचें दामों में बेचने का प्रयास किया जाना जाहिर है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का

जिला कलक्टर
अजमेर

1. फर्द मौका एवं जब्ती
2. सुपुर्दगीनामा
3. स्टॉक रजिस्टर (छाया प्रति)

(अमित कुमार शर्मा)
प्रवर्तन निरीक्षक,
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 5, 10, 11, 17 (सी) का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कब्जे राज लिया गया अधिशेष केरोसीन 76 लीटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये केरोसीन का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.11..2016 को मेरे इजलास सुनाया गया।

09/11/16

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर।

Scanned by CamScanner